159
2FA

REMINDER

VIGILANCE DEPARTMENT

Ref: Vig/90/3/2018-19 **25 January 2019**

Sub: Compliance to CVC O.M. regarding timely payment to the contractors/ Suppliers/service providers – Preventive Measures – reg.

Vigilance Department vide its note Ref: Vig/90/3/2018-19 dated 10 January 2019 has requested information about timely processing of bills in the format given there in.

The information has been desired for compliance to CVC O.M regarding timely payment to the contractors/ suppliers/ service providers and was required to be provided by *20 January 2019*.

Only a few departments namely Sales, PRD, PGD, JPBO and SRO (excluding SROL) has provided the information till date. The information from all other departments/ branches are yet to be received in Vigilance Department. This non-adherence to the time limit for providing information has been viewed seriously by CVO, BIS.

In view of above, all concerned are once again requested to provide the information in the prescribed format and accord immediate priority to the same. The information must be provided to Vigilance Department latest by ***30 January 2019***.

This is being issued with the approval of CVO, BIS.

25/1

Chitra Gupta

(Sc-F, Vig)

Circulated to all DDG's/ HoD's through BIS Intranet

अनुस्मारक

सतर्कता विभाग

संदर्भ: वीआईजी/90/3/2018-19 **जनवरी 2019**

विषय: ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को समय पर भुगतान के संबंध में सीवीसी कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन - निवारक उपाय - के संबंध में।

सतर्कता विभाग ने अपने नोट संदर्भ: वीआईएजी/90/3/2018-19 दिनांक 10 जनवरी 2019 के साथ दिए गए प्रारूप में बिलों का समय पर निपटान करने के बारे में सूचना हेतु अनुरोध किया था।

ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को समय पर भुगतान करने के संबंध में उक्त वांछित सूचना सीवीसी कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन के लिए 20 *जनवरी 2019 तक* उपलब्ध करानी अपेक्षित थी।

केवल कुछ विभागों जैसे बिक्री, पीआरडी, पीजीडी, जेपीबीओ और एसआरओ (एसओएल को छोड़कर) ने अब तक सूचना उपलब्ध कराई है। अन्य सभी विभागों/शाखाओं की जानकारी अभी तक सतर्कता विभाग को नहीं मिली है। सीवीओ, बीआईएस ने निर्धारित समय-सीमा में सूचना न उपलब्ध कराने को गंभीरता से लिया है।

उपरोक्त को देखते हुए सभी संबंधितों से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराएं और इसे तत्काल प्राथमिकता दें। यह सूचना दिनांक ***30 जनवरी 2019*** तक सतर्कता विभाग में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं।

इसे सीवीओ, बीआईएस के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

चित्रा गुप्ता 28/1

(चित्रा गुप्ता)

(वैज्ञा.एफ, सतर्कता)

सभी उपमहानिदेशकों / विभागाध्यक्षों को बीआईएस इंट्रानेट द्वारा परिचालित